निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 श्रावण 1937 (श0)

संख्या 32 पटना, बुधवार, ——————

12 अगस्त 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-3
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	4-6
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	7-9

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

3 जुलाई 2015

सं० 1/सह०राज०स्था०(स्थाना०)–07/2014–**2201**––श्री संजय कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया (अतिरिक्त प्रभार महाप्रबंधक, आई०सी०डी०पी०, अररिया) को विभागीय अधिसूचना संख्या–2074 दिनांक 25.06.2015 द्वारा निलंबित किये जाने के फलस्वरूप रिक्त हुए पद पर श्री सत्येन्द्र कुमार प्रसाद, जिला सहकारिता पदाधिकारी, किशनगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, अररिया एवं महाप्रबंधक, आई०सी०डी०पी०, अररिया का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।

2. नियमित पदस्थापन के पश्चात् यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

1 जुलाई 2015

सं० 1/सह०राज०स्था०(अनु०)19/2015–**2173**––मो० हामिद, सहायक निबंधक (अ०र०), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को उप निबंधक स०स०(न्या०), बिहार, पटना का पद रिक्त रहने के कारण अपने कार्यों के अतिरिक्त उप निबंधक, सहयोग समितियाँ (न्या०), बिहार, पटना के रिक्त पद का अतिरिक्त प्रभार तत्कालीक प्रभाव से दिया जाता है। नियमित पदस्थापन के उपरांत यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

30 जून 2015

सं० 1/सह०राज०स्था०(पदस्थापन)–20/2015–**2157**––श्री कुमार शांत रक्षित, प्रबंध निदेशक, दी पाटलीपुत्र सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, पटना को अगले आदेश तक बिहार स्टेट को–ऑपरेटिव बैंक लि०, पटना के प्रबंध निदेशक के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्री रक्षित वैकल्पिक व्यवस्था होने तक प्रबंध निदेशक, दी पाटलीपुत्र सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, पटना के पद पर कार्य करते रहेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

22 जून 2015

सं० 1/सह०–रा०स्था०(अंके०)संपुष्टि–31/2010–**2034**––बिहार सहकारिता सेवा (अंकेक्षण प्रभाग) के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित तिथि से संपुष्ट किया जाता है:–

क्र०सं०	पदाधिकारी का नाम	वरियता कोटि क्रमांक	प्रथम नियुक्ति की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री राजेश कुमार	14/11	27.10.2009	04.07.2013

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

15 जून 2015

सं० 01/बि०स०से०(वि०प०)76/99–1924—श्री भुनेश्वर प्रसाद मंडल, जिला सहकारिता पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को अपनी पुत्री की शादी के निमित्त दिनांक 15.02.15 से उपार्जित छुट्टी में जाने की स्वीकृति विभागीय पत्र संख्या–631 दिनांक 25.02.15 द्वारा दी गई थी।

श्री मंडल द्वारा उपार्जित छुट्टी से लौटने के उपरान्त दिनांक 02.03.15 को उक्त पद का प्रभार ग्रहण करने के आधार पर दिनांक 15.02.15 से 28.02.15 तक उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 01.03.15 रविवार राजकीय अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

निगरानी विभाग

अधिसूचना

5 अगस्त 2015

सं० नि०वि०स्था०–19/2005–2777—जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3057, दिनांक 30.06.15 द्वारा श्री शम्भु शरण सिंह, अवा सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के तहत् कार्यपालक अभियंता के पद पर निगरानी विभाग में पदस्थापित किया गया है। तदनुसार दिनांक 01.07.2015 को श्री सिंह द्वारा योगदान समर्पित किया गया है।

2. उक्त के आलोक में उनके योगदान की तिथि 01.07.2015 के पूर्वाह्न से योगदान स्वीकृत करते हुए निगरानी विभाग के अधीन तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना में अपने ही वेतनमान में कार्यकारी व्यवस्था के तहत अधीक्षण अभियंता के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।

3. इसमें मुख्य (निगरानी) मंत्री का आदेश प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
चन्द्रशेखर नारायण, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 21—571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

समाज कल्याण विभाग

अधिसूचना

30 जुलाई 2015

बिहार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा कार्यकारिणी एवं विभिन्न स्तरों पर समन्वय समिति

सं० ICDS/40040/06- 2012/3129—भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रणाली तैयार करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा नीति 20 सितम्बर, 2013 को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई, जिसके आलोक में 26 फरवरी, 2014 को संकल्प के द्वारा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् का गठन हुआ। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के इस संकल्प में वर्णित नीति के तहत राज्य स्तर पर बिहार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा परिषद् के गठन की अधिसूचना (संख्या ICDS/40040/06-2012/2127 दिनांक 20 मई 2015) निर्गत की गई जो बिहार गजट सं0 589 दिनांक 22.05.2015 द्वारा प्रकाशित है।

ई.सी.सी.ई. नीति के लक्ष्यों की सफल प्राप्ति के लिए तथा राज्य के सर्वसाधारण तक सभी सेवा प्रदात्ताओं के माध्यम से प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा के व्यापक संचरण हेतु राज्य स्तरीय ई.सी.सी.ई. परिषद् के साथ–साथ राज्य कार्यकारिणी समिति, तथा जिला एवं प्रखण्ड स्तर पर बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा समन्वय समितियों का गठन किया जाता है।

1. राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा कार्यकारिणी समिति की संरचना :

(1)	सचिव, समाज कल्याण विभाग	–	अध्यक्ष
(2)	निदेशक, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य–उपाध्यक्ष
(3)	निदेशक, SCERT	–	सदस्य
(4)	प्रोक्योरमेन्ट पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य
(5)	प्रशिक्षण पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य
(6)	प्रभारी पदाधिकारी, ईसीसीई, आई.सी.डी.एस.	–	सदस्य–संयोजक
(7)	प्रतिनिधि, निपसिड	–	सदस्य
(8)	शिक्षा विशेषज्ञ, यूनिसेफ, बिहार	–	सदस्य
(9)	राज्य स्तर पर अध्यक्ष द्वारा नामित ईसीसीई के क्षेत्र में सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि (एक से अधिक हो सकते है)	–	सदस्य
(10)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (रोटेशन के अनुसार आई.सी.डी.एस. द्वारा मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल 6 माह)	–	सदस्य

सदस्य–संयोजक, समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुमति से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों आदि को सहयोजित एवं आमंत्रित कर सकते हैं। राज्य कार्यकारिणी समिति वर्ष में कम–से–कम 6 बार बैठकों को आहूत करेगी एवं विभागीय दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त बैठकें करेंगी।

2. राज्य समिति के उद्देश्य :

राज्य ईसीसीई समिति का मुख्य उद्देश्य 0–6 वर्ष की आयु वर्ग के छोटे बच्चों के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ–साथ सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए राज्य सरकार की निर्धारित नीतियों एवं अवधारणा के कार्यान्वयन के लिए सुचारु कार्य–योजना बनाना है।

3. समिति के कार्य :

यह राज्य कार्यकारिणी समिति सरकार के निर्णयों को निष्पादित एवं कार्यान्वित करने के लिए जिम्मेवार होगी। यह सरकार के निर्णयों को लागू करने के लिए अधिकृत होगी। यह सरकार के कार्यों का आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त निदेशों/निर्णयों के अनुसार विषयपरक उप समितियाँ गठित कर सकती है।

ईसीसीइ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कार्य करेगीः–

(i) सम्पूर्ण राज्य में ईसीसीई प्रावधानों तथा उनकी सुलभता और उपलब्धता का समन्वय करना तथा उनकी समीक्षा करना।

(ii) सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा–निर्देशों एवं मानकों के कार्यान्वयन की जाँच करना और समय–समय पर समीक्षा करना तथा संस्थाओं को उपयुक्त ढंग से सलाह देना।

(iii) ईसीसीई के क्षेत्र में आने वाले अवरोधों और जोखिम कारकों को घटाएँ तथा ईसीसीई के लिए संरक्षी कारकों/उपायों का बढ़ावा दें।

(iv) नये कार्यक्रम आरंभ करने के लिए और भौतिक तथा शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करने के लिए स्टाफिंग प्रणाली (पैटर्न) तथा स्टाफ अर्हता के लिए ईसीसीई संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना।

(v) ईसीसीई संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त निष्पादन प्रणाली, मानदंड एवं तंत्र विकसित एवं स्थापित करना।

(vi) विभिन्न स्तरों पर ईसीसीई विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशा–निर्देश निर्धारित करना।

(vii) ईसीसीई से संबंधित प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया का निर्धारण करना।

(viii) ईसीसीई कार्यक्रमों द्वारा प्रयुक्त खेल उपकरण, खेल सामग्री, खेल–स्थान, फर्नीचर, पुस्तकों तथा बाल साहित्य आदि के लिए मानदंड तथा मानक निर्धारित करना।

(ix) प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यावसायिकों के लिए कारगर प्रशिक्षण तथा समकक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रणालियाँ विकसित एवं स्थापित करना।

(x) पूरे राज्य में ईसीसीई संबंधित जीवंत, गतिशील अनुसंधान नेटवर्क तथा सूचना की हिस्सेदारी के लिए सुगम्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.) विकसित करना।

(xi) जिला एवं प्रखण्डों में विभिन्न विभागों में समन्वय एवं क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु कार्यवाही पंजियों को अनुमोदन के लिए अग्रसारित करना।

(xii) यह सरकार के कार्यों का आगे बढ़ाने के लिए प्राप्त निदेशों/निर्णयों के अनुसार विषयपरक उप समितियाँ गठित कर सकती है।

(xiii) नई रणनीतियों तथा विकल्पों की खोज करना तथा ईसीसीई में नवाचारों को व्यापक बनाने और उन्हें कायम रखने के तरीकों का पता लगाना।

(xiv) जिला समन्वय समितियों का समय–समय पर मूल्यांकन एवं आवश्यक मार्गदर्शन करना।

(xv) ईसीसीई से संबंधित बृहत्तर क्षेत्र में ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त हों या सरकार द्वारा इसे सौंपे गए हों, या संबंधित विभागों के सहयोग से हों।

(xvi) ईसीसीई से संबंधित ऐसी सभी कार्य जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे अथवा आवश्यक प्रतीत हो।

4. जिला प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा समन्वय समिति की संरचना :–

(1)	जिला पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2)	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी	–	सदस्य–संयोजक
(3)	मुख्य असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
(4)	जिला शिक्षा पदाधिकारी	–	सदस्य
(5)	जिला कल्याण पदाधिकारी	–	सदस्य
(6)	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता	–	सदस्य
(7)	जिला स्तर पर अध्यक्ष द्वारा नामित ईसीसीई के क्षेत्र में सहयोगी संस्थाओं के प्रतिनिधि (एक से अधिक हो सकते है)	–	सदस्य
(8)	2 बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा रोटेशन के अनुसार एक वर्ष के लिए मनोनीत)	–	सदस्य

5. प्रखण्ड प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा समन्वय समिति की संरचना :–

(1)	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	–	अध्यक्ष
(2)	महिला पर्यवेक्षिका (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा रोटेशन के अनुसार एक वर्ष के लिए मनोनीत)	–	सदस्य–संयोजक
(3)	प्रखंड/ग्रामीण विकास पदाधिकारी	–	सदस्य
(4)	प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी	–	सदस्य
(5)	प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी	–	सदस्य
(6)	प्रखण्ड स्तर पर डेवलपमेन्ट पार्टनर्स के 2 प्रतिनिधि	–	सदस्य

6. जिला एवं प्रखण्ड समन्वय समिति के कार्य :

(i) अपने स्तर पर सरकार द्वारा निर्धारित उन सभी ई.सी.सी.ई. संबंधित गतिविधियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना जो जिला/प्रखण्ड में सरकार के नीतियों के अनुसार चलाये जा रहे हों या जिनके अनुश्रवण के लिए राज्य ई.सी.सी.ई. कार्यकारिणी समिति ने जिला/प्रखण्ड समन्वय समितियों को विशिष्ट निर्देश दिए हो।

(ii) अपनी गतिविधियों की माह में नियमित रूप से एक बैठक में समीक्षा करना और जिला/प्रखण्ड स्तर पर जिन अवरोधों को हटाया जा सकता है उनको हटाने के लिए जिला/प्रखण्ड प्रशासन को निर्देश देना।

(iii) मासिक बैठक की कार्रवाई पंजी राज्य कार्यकारिणी समिति (जिला समन्वय समिति द्वारा)/ जिला समन्वय समिति (प्रखण्ड समन्वय समिति द्वारा) को भेजना, जिनमें उन अवरोधों को हटाये जाने के लिए, जिन्हें उनके स्तर से नहीं हटाया जा सकता, की सिफारिश करना।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतिलिपि बिहार सरकार के सभी विभागों को भेजी जाए ।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 21—571+100-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं

15 जुलाई 2015

सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰)परि॰–202/2013–**2376**––श्री कवीन्द्र नाथ ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कटिहार के पत्रांक–2349, दिनांक 30.07.2013 द्वारा प्रतिवेदित फर्जी किसानों के क्रय दिखाकर चेक द्वारा बैंक शाखा, कोढ़ा से स्थाई गबन का मामला प्रकाश में आने एवं सुल्तानगंज अन्तर्गत नोनसर पैक्स में षडयंत्र एवं जालसाजी कर बैंक की राशि गबन में सहयोग करने के आरोप में निगरानी थाना कांड संख्या–30/2006, दिनांक 17.05.2006 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–731, दिनांक 12.02.14 द्वारा इन्हें निलंबित कर इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–''क'') गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–751, दिनांक 13.02.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। इस संदर्भ में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना –सह– संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री ठाकुर से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की सम्यक समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री ठाकुर का द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है एवं इनके विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित/ आंशिक रूप से प्रमाणित है। जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री कवीन्द्र नाथ ठाकुर, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, कटिहार सम्प्रति निलंबित को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है :–

(i) तीन वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक।

(ii) श्री ठाकुर को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ देय नहीं होगा।

2. श्री ठाकुर को निलम्बन से मुक्त किया जाता है तथा उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

निलम्बन मुक्त होने के पश्चात श्री ठाकुर, स्थापना शाखा (प्रशाखा–1), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान देंगे, जहाँ से इनके पदस्थापन की कार्रवाई की जायेगी।

3. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

25 जून 2015

सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–704/2015–**2075**––श्री मनोज कुमार, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के धावा दल द्वारा दिनांक 12.03.2015 को 70,000/– (सत्तर हजार रुपये) रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–020/2015 दिनांक 12.03.2015 दर्ज होने के फलस्वरूप विभागीय अधिसूचना संख्या–1228 दिनांक 10.04.2015 द्वारा दिनांक 12.03.2015 के प्रभाव से निलंबित किया गया है।

2. कारागार से विमुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 19.05.2015 को श्री कुमार के द्वारा योगदान किया गया है। सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(3)(1) के अंतर्गत इनका योगदान स्वीकृत किया जाता है। योगदान की तिथि से श्री कुमार निलंबन से मुक्त समझे जायेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

25 जून 2015

सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2015–**2074**––जिला पदाधिकारी, अररिया के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना ने अपने पत्रांक–3230, दिनांक 29.05.15 द्वारा श्री संजय कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अररिया के विरूद्ध अनुशासनहीनता बरतने, मुख्यालय से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने, विभागीय बैठक में भाग नहीं लेने, उच्चधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने, कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने, बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i) (ii) एवं (iii) का उल्लंघन करने एवं वित्तीय अनियमितता बरतने के आरोप में आरोप पत्र प्रपत्र–''क'' गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है।

2– निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के उक्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि उल्लेखित आरोप के संबंध में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा श्री झा से स्पष्टीकरण पूछा गया है, किन्तु कई स्मारों के बाद भी श्री झा द्वारा स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं दिया गया, जो घोर अनुशासनहीनता एवं उच्च पदाधिकारी के आदेश का उल्लंघन है।

2– उक्त के आलोक में लोकहित में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9(1) (क) के तहत श्री कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री झा का मुख्यालय–कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का कार्यालय निर्धारित किया जाता है।

3– निलंबन अवधि में श्री झा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 10(3) के तहत उन्हें नियमानुसार देय जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

4– इस आदेश में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

22 जून 2015

सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–720/2013–**2030**––श्री शशि शेखर सिन्हा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मुजफ्फरपुर सम्प्रति विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ–2009 में गैर–ऋणी कृषकों के फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय निदेशों एवं फसल बीमा मार्गदर्शिका की अवहेलना करने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही/चूक बरतने के आरोप पर इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1353, दिनांक 25॰03॰2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। श्री सिन्हा के स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिन्हा के विरूद्ध फसल बीमा कार्य के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने का गठित आरोप प्रमाणित है जिसके लिए वे दोषी है।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री शशि शेखर सिन्हा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, मुजफ्फरपुर सम्प्रति विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी का दंड संसूचित किया जाता है एवं इसके साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

22 जून 2015

सं॰ 08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–705/2014–**2029**––श्री सुरेश दास, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान–सह–प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान एवं बेतिया सम्प्रति उप निबंधक (ईख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के विरूद्ध राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत खरीफ–2009 में गैर–ऋणी कृषकों के फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय निदेशों एवं फसल बीमा मार्गदर्शिका की अवहेलना करने तथा अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही/चूक बरतने के आरोप पर इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2572, दिनांक 30॰06॰2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री दास से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर की सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री दास के विरूद्ध फसल बीमा कार्य के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने का गठित आरोप प्रमाणित है जिसके लिए वे दोषी है।

अतएव प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सुरेश दास, तत्कालीन, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सिवान–सह–प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सिवान एवं बेतिया सम्प्रति उप निबंधक (ईख), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने एवं भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी का दंड संसूचित किया जाता है एवं इसके साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

---

18 जून 2015

सं० 1/सह॰राज॰स्था॰(स्थाना॰)–07/2014–**1977**––डॉ॰ पारसनाथ प्रसाद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा को विभागीय अधिसूचना–1622 दिनांक 19.05.2015 द्वारा निलंबन से मुक्ति के फलस्वरूप दिनांक 19.05.15 को दिये गये योगदान को स्वीकार करते हुए तत्कालिक प्रभाव से सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ (अवकाश/प्रशिक्षण रक्षित) कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट, 21––571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in